भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 67
29.01.2026 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में मैंग्रोव वन

67. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिष्टी परियोजना, तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशम (टीएन-शोर) और अन्य केन्द्रीय/राज्य संयुक्त पहलों के अंतर्गत सहायता सहित तमिलनाडु में मैंग्रोव वनों के विकास और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राज्य के तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से सुनामी-संवेदनशील क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण, पुनर्स्थापन और तटीय जैव-सुरक्षा परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बढ़ाए गए या पुनर्स्थापित किए गए मैंग्रोव क्षेत्र का जिला-वार और तटीय पट्टी-वार क्षेत्रफल कितना है; और

(घ) राज्य में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से कार्बन पृथक्करण, जैव विविधता और सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय नियोजित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "तटीय पर्यावसों तथा मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टि)" की शुरुआत 5 जून 2023 को की, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव को एक विशिष्ट, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बढ़ावा देना तथा तटीय पर्यावसों की स्थिरता को संरक्षित एवं सुदृढ़ करना है। इस पहल के अंतर्गत भारत के तटों पर 'मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन' हेतु मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण के उपाय किए जा रहे हैं। यह पहल अन्य केंद्रीय/राज्य पहलों के साथ अभिसरण के माध्यम से तथा राष्ट्रीय काम्पा से अंतर-वित्तपोषण के प्रावधान के साथ लागू की जा रही है।

तमिलनाडु सरकार एक समर्पित तटीय मिशन, अर्थात् तमिलनाडु सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशन रिसोर्सेज एंड ब्लू इकोनॉमी (टीएन-शोर), जिसे तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, को विश्व बैंक के सहयोग से लागू कर रही है जिसके अंतर्गत जैव-सुरक्षा की स्थापना, तटीय अनुकूलता बढ़ाने हेतु प्राकृतिक अवरोधों का सृजन तथा तटीय संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

हालाँकि, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राष्ट्रीय काम्पा से मिष्टि के अंतर्गत अंतर-वित्तपोषण निधि हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, और मिष्टि के अंतर्गत कार्यकलाप अभिसरण के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं तथा उसी के तहत रिपोर्ट किए जा रहे हैं।

(ख) तमिलनाडु राज्य के वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी तटीय जिलों में पर्यावास पुनर्स्थापन एवं मैंग्रोव संरक्षण हेतु जैव-सुरक्षा कवच के निर्माण के लिए ₹38.29 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत निधि का उपयोग मैंग्रोव रोपण, क्षतिग्रस्त मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, तटीय जैव-सुरक्षा कवच के पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तथा आपदा-प्रवण तटीय क्षेत्रों, जिनमें सुनामी-संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं, पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) एवं (घ) राज्य में जिला-वार मैंग्रोव आच्छादन का विवरण, तमिलनाडु वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार, **परिशिष्ट-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में किए गए मैंग्रोव पुनर्स्थापन संबंधी पहलों में 24.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नए मैंग्रोव रोपण तथा 12.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवक्रमित मैंग्रोव क्षेत्रों का पुनर्स्थापन शामिल है, जिसे सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, हाइड्रोलॉजिकल पुनर्स्थापन तथा स्थल-विशिष्ट रोपण मॉडलों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक तटीय पट्टियों में इन उपायों के परिणामस्वरूप कार्बन सिंक में समग्र वृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण तथा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के सतत प्रबंधन के माध्यम से सामुदाय की आजीविका में सुधार हुआ है।

*****

"तमिलनाडु में मैंग्रोव वन" के संबंध में श्री एस. कल्याणसुंदरम द्वारा 29.01.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 67 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य में जिलेवार मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल:

क्र.सं	**जिले का नाम**	**कुल आच्छादित मैंग्रोव (वर्ग कि.मी. में)**
1.	तंजावुर	13.34
2.	कुड्डालोर	8.46
3.	तिरुवरुर	8.2
4.	थूथुकुड़ी	3.21
5.	माइलादुत्रयी	2.55
6.	रामनाथपुरम	2.46
7.	पुडुकोट्टई	1.53
8.	नागपट्टिनम	1.16
9.	चेन्नई	0.39
10.	तिरुवल्लुर	0.39
11.	विल्लुपुरम	0.22
	कुल	**41.91**

(स्रोत: तमिलनाडु वन विभाग)

****